न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 67/2018 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. निजरबी पत्नी मौज खां जाति मेव निवासी खोहडाकर माली तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट

बनाम

1. ज्ञानचंद पुत्र खण्डूराम जाति ओडराजपूत निवासी नाखनौल।
2. मेहरचन्द पुत्र खण्डूराम जाति ओडराजपूत निवासी नाखनौल।
3. गुरोबाई पत्नी वजीरचंद जाति ओडराजपूत निवासी नाखनौल।
4. सीमाबाई पुत्री वजीरचंद जाति ओडराजपूत निवासी नाखनौल नाबालिग।
5. सोहनबाई पुत्री वजीरचंद नाबालिग जर्ये सरपरस्त मातखुद गुरोबाई पत्नी वजीरचंद जाति ओडराजपूत वादमित्र निवासी नाखनौल तहसील राजगढ।
6. ज्ञानीबाई पुत्री खण्डूराम जाति ओडराजपूत।
7. शान्तीबाई पुत्री खण्डूराम जाति ओडराजपूत।
8. सुन्दरीबाई पुत्री खण्डूराम जाति ओडराजपूत।
9. प्यारीबाई पुत्री खण्डूराम जाति ओडराजपूत।
10. शम्मोबाई पुत्री खण्डूराम जाति ओडराजपूत निवासीगान नाखनौल तहसील रामगढ जिला अलवर।
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राज0।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1.श्री देवेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक अपीलांट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

2.श्री विशम्भर दयाल गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट।
3.श्री दलेर सिंह, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय ::: दिनांक :–26.11.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के आदेश दिनांक 25.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नंबर 654 रकबा 13 एयर साबिक खसरा नंबर 459 मिन रकबा 10 बीघा वाके ग्राम नाखनौल से बना है जो आराजी अपीलांट की खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर अपीलांट काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। अपीलांट विवादित आराजी की सदभाविक क्रेता है।अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद रेस्पो0 द्वारा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दायर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में इकतरफा अपना निर्णय दिनांक 25.05.2018 को पारित किया है जिस निर्णय दिनांक 25.05. 2018से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया तथा दावे के तथ्यों का हवाला दिया । साथ ही विवादित आराजी का विवरण दिया । विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 654 रकबा 13 एयर साबिक खसरा नंबर 459 मिन रकबा 10 बीघा वाके ग्राम नाखनौल तह0 रामगढ जिला अलवर में स्थित है। अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजी अपीलांट की खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की है। जिस पर अपीलांट आज भी काबिज रहकर काश्त कर रही है। अपीलांट विवादित आराजी की सदभाविक क्रेता है।अपीलांट ने दि0 20.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में स्टे प्रार्थना पत्र में जबाव प्रस्तुत कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में अपना निर्णय पारित किया है। अपीलांट को कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने की ना तो कोई सूचना प्राप्त हुई और ना ही अपीलांट दिनांक 25.05.2018 को कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुई। अपीलांट विवादित आराजी की काबिज खातेदार काश्तकार व सद्भाविक क्रेता है जिसने विवादित आराजी को राजस्व रिकॉर्ड दीवानचंद, ज्ञानचंद, श्यामलाल पुत्र सेवाराम के नाम व उनका कब्जा विवादित आराजी पर होने के कारण राशि अदा करके खरीद किया है और कब्जा प्राप्त किया है।इनका मुफालखाना कब्जा है। रेस्पो0 द्वारा विक्रय पत्र पंजीबद्ध दिनांक 25.05. 2004 को किसी भी दीवानी न्यायालय में निरस्त व शून्य घोषित करने हेतु दावा नही किया है। रेस्पो0 ने वाद पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र में उन व्यक्तियों को पक्षकार नही बनाया जिनसे अपीलांट ने विवादित आराजी को खरीद किया है। रेस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही है और ना कभी कब्जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

राजस्व अपील प्राधि...
अलवर (राज०)

जबाव में अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 459 रकबा 1 बीधा 3 बिस्वा रेस्पो0 के बुजुर्ग खाण्डूराम की अलॉटशुदा कब्जे काश्त गैर खातेदारी की आराजी थी जिस आराजी पर हमारे बुजुर्ग जीवन पर्यन्त काबिज रहे और उनके मरणोपरान्त रेस्पो0 विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। आज भी मौके पर रेस्पो0 का कब्जा है। बाद अलॉटमेन्ट संवत 2058 में उक्त आराजी के खसरा नंबर 652, 653, 654 कायम किये गये। बाद जांच पटवारी हलका से मिलने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पो0 के नाम खसरा संख्या 652, 653 है, 654 का इन्द्राज इनके नाम ही नही है। इंतकाल सख्या 33 के जर्ये उक्त आराजी मेवाराम के नाम खातेदारी में चढा दी जबकि पटवारी हलका ने इंतकाल संख्या 33 भरते समय उसमें खसरा नंबर 459 मिन रकबा 10 बिस्वा का कहीं भी हवाला नही है। परन्तु ग्राम पंचायत ने मेवाराम से मिल्लत कर इंतकाल तस्दीक करते समय गलत तरीके से खसरा नंबर 459 मेवाराम के नाम तस्दीक कर दिया और जिसका हाल खसरा नंबर 654 रकबा 13 एयर बना। मेवाराम ने बदनीयती से उस आराजी का बेचान किया तथा बिना कब्जे के आधार पर प्रतिवादी के नाम चढा दिया। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी दुरूस्त कराने से भी इन्कार कर दिया। उक्त बयनामा अपने आप में ही शून्य है। रेस्पो0 विवादित आराजी में अपने नाम का इन्द्राज हाल जमाबंदी तक अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः उक्त अपील खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दि0 25.05.2018 का अवलोकन किया ।

उक्त विवादित आराजी के संदर्भ में अपीलांट द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया कि खसरा नंबर 654 मेवाराम के कैसे दर्ज हुई जबकि साबिक खसरा नंबर 459 खाण्डूराम पुत्र चांदनराम कौम राजपूत साकिन देह गैर खातेदार मिलान क्षेत्रफल से तीन हाल खसरा नंबर 652, 653, 654 बने हैं। साबिक खसरा नंबर 459 खाण्डूराम को आवंटन हुई जबकि गैर खातेदारी कस्टोडियन के रूप में दर्ज चली आ रही है। मेवाराम को इंतकाल संख्या 33 के जरिये ग्राम पंचायत ने स्वीकार किया है उसमें भी स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर स्वीकृति दी है। प्रथमदृष्टया अपील में यह देखा जाना सुसंगत नही है कि खातेदार कौन है या नही है? वरन यह देखा जाना आवश्यक है कि वाद दायर के समय प्रथमदृष्टया कब्जा किसका है। कब्जे के संबंध में जमाबंदी संवत 2020 खाण्डूराम वल्द चांदनराम जाति राजपूत अलॉटी गैर खातेदार के नाम दर्ज है जिससे यही धारणा की जायेगी कि उसका कब्जा माना जायेगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर तहत न्यायालय का आदेश उचित एवं विधिसम्मत होने से अपील अपीलांट काबिल खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के आदेश दिनांक 25.05.2018 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)